


नामनिर्देशन-पत्र

राज्य (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन
नीचे भाग 1 या भाग 2, जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)



मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए रामगढ (067) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम लक्ष्मण सिंह
 पिता/प्राप्त/पति का नाम श्री विहारी लाल
 उसका डाक पता 59 N.E.B. हाइवे जेई डुलवा (राज)
 उसका नाम डुलवा शहर 066 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक
 नामावली के भाग सं. 1-41 में क्रम सं. 434 पर प्रविष्ट है।
 मेरा नाम स्व. राम प्रताप चिंजीलक है जो रामगढ विधान सभा (067)
 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं. 163 में क्रम सं. 51
 पर प्रविष्ट है।

तारीख 19.11.18

के. एस. शर्मा
 प्रस्तापक के हस्ताक्षर

भाग-2

इस विधान सभा के निर्वाचन के लिए रामगढ (067) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नाम निर्देशन करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम
 पिता/प्राप्त/पति का नाम
 उसका डाक पता
 उसका नाम विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के
 भाग सं. में क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्तापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	प्रस्तापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

कृपया ध्यान दें :- प्रस्तापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

के. एस. शर्मा

भाग-3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने 62 वर्ष वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

[नीचे (ग) (i) या (ग) (ii), जो लागू न हो उसे काट दें]

(ग) (i) मुझे इस निर्वाचन में बहुजन समाज पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है/मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) (ii) (iii) है।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हि-डी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(ङ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं लागू नहीं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो राज्य के उस राज्य के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित **जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए साथ-साथ कराए जा रहे वर्तमान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 19.11.18

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

** उन शब्दों को काट दें, जो लागू न हों।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

[भाग-3 क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,

जिनके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

हाँ/नहीं

नहीं

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक लागू नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) विला (विले) लागू नहीं राज्य
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था लागू नहीं
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/तारीखें लागू नहीं
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिनहोंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था लागू नहीं
- (vi) अधिरोपित दंड [कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने की राशि उपदर्शित करें] लागू नहीं
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) लागू नहीं
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हां/नहीं ✓
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख और विशिष्टतां लागू नहीं
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे लागू नहीं
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है; लागू नहीं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-
 - (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लागू नहीं
 - (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति लागू नहीं
- (2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है? हां/नहीं ✓
 - यदि हां, धारित पद के ब्यौरे लागू नहीं
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है? हां/नहीं ✓
 - यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है लागू नहीं
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है? हां/नहीं ✓
 - यदि हां, ब्यौरे दीजिए लागू नहीं
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहिंत किया गया है? हां/नहीं ✓
 - यदि हां, निरहिंत किए जाने की अवधि लागू नहीं
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान प्रत्याभार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है? हां/नहीं ✓
 - यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख लागू नहीं

(Handwritten signature)

(4)

- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संबिदा (संबिदार) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी भाल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्मके निष्पादन के लिए शेर रखता है? (हां/नहीं) (हां/नहीं)
- यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संबिदा (ओं) के ब्यारे
- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अधिकारी या प्रबंधक या सहचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेर नहीं रखती है? (हां/नहीं) (हां/नहीं)
- यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यारे
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निर्दिष्ट किया गया है? (हां/नहीं) (हां/नहीं)
- यदि हां, निर्हन की तारीख

स्थान : 21.11.18

तारीख : 19.11.18

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग-4

(रिटनिंग ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं. 19/067

यह नामनिर्देशन मुझे/भरे कार्यालय में 19/11/18 (तारीख) को 1:31 PM (बजे)

अभ्यर्थी/प्रस्थापक लक्ष्मण सिंह (नाम) द्वारा परित्त किया गया।

407
रिटनिंग ऑफिसर

तारीख

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग-5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

.....

.....

.....

तारीख

रिटनिंग ऑफिसर